

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 05/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- लक्ष्मणगढ़, सेठों का बाजार, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर-332311
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

- 1- मनोज सोनी पुत्र स्व. ओम प्रकाश सोनी एवं स्व. ओम प्रकाश सोनी पुत्र देवीदत्त सोनी सीकरिया कुंआ के पास, वार्ड नम्बर 06, लक्ष्मणगढ़ सीकर। अप्रार्थीगण / ऋणी
- 2- सम्पत्ति देवी पत्नी स्व. ओम प्रकाश सोनी सीकरिया कुंआ के पास, वार्ड नम्बर 06, लक्ष्मणगढ़ सीकर। कानूनी वारिस
- 3- प्रमोद सोनी पुत्र स्व. ओम प्रकाश सोनी सीकरिया कुंआ के पास, वार्ड नम्बर 06, लक्ष्मणगढ़ सीकर। कानूनी वारिस
- 4- सुभाष सोनी पुत्र स्व. ओम प्रकाश सोनी सीकरिया कुंआ के पास, वार्ड नम्बर 06, लक्ष्मणगढ़ सीकर। कानूनी वारिस
- 5- सुनील सोनी पुत्र स्व. ओम प्रकाश सोनी सीकरिया कुंआ के पास, वार्ड नम्बर 06, लक्ष्मणगढ़ सीकर। कानूनी वारिस
- 6- शिशपाल सिंह भाटी पुत्र जगमल सिंह भाटी, झुंझुनुवाला मार्केट, गणेश मन्दिर के पास, लक्ष्मणगढ़, सीकर। जमानतदार
- 7- आसाराम शर्मा पुत्र राम प्रसाद शर्मा, झुंझुनुवाला मार्केट, गणेश मन्दिर के पास, लक्ष्मणगढ़, सीकर। जमानतदार

सत्यमेव जयते

The application under Section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 25 जनवरी, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मनोज सोनी एवं स्व. ओम प्रकाश सोनी, सम्पत्ति देवी, प्रमोद सोनी, सुभाष सोनी, सुनील सोनी, शिशपाल सिंह भाटी, आसाराम शर्मा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **Equitable Mortgage of House Property Located at Ward No. 06, Near Sikaria Kuwa, Laxmangarh, Dist. Sikar (Raj). Belonging to Late Om Prakash Soni Admeasuring 77.5 SQ. Yard. Bounded by North House of Devika Prasad, South House of nand Lal, East Rasta Aam, West Blind Lane.** को

बंधक रखकर 3,50,000/—रूपये (अक्षरे रूपये तीन लाख पच्चास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 29.08.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का सर्वोच्च न्यायालय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 29.08.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। ऋणी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण मनोज सोनी एवं स्व. ओम प्रकाश सोनी, सम्पत्ति देवी, प्रमोद सोनी, सुभाष सोनी, सुनील सोनी, शिशपाल सिंह भाटी, आसाराम शर्मा की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Equitable Mortgage of House Property Located at Ward No. 06, Near Sikaria Kuwa, Laxmangarh, Dist. Sikar (Raj). Belonging to Late Om Prakash Soni Admeasuring 77.5 SQ. Yard. Bounded by North House of Devika Prasad, South House of nand Lal, East Rasta Aam, West Blind Lane.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
7. आदेश आज दिनांक: 25 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर